बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक– एन0एम0एस0ए0को0–31/2016–50/ कृ0 पटना, दिनांक–27-03-2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\# अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

\#द्वारा: वित विभाग, ।

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का बिहार राज्य में 2017–18 में (केन्द्रांश 441.132 लाख रूपये एवं राज्यांश 294.089 लाख रूपये) कुल 735.221 लाख (सात करोड़ पैंतीस लाख बाईस हजार एक सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत नमामी गंगे स्वच्छता अभियान अंतर्गत जैविक ग्राम कल्स्टर की योजना अंतर्गत बिहार राज्य में 2017–18 में (केन्द्रांश 441.132 लाख रूपये एवं राज्यांश 294.089 लाख रूपये) कुल 735.221 लाख (सात करोड़ पैंतीस लाख बाईस हजार एक सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन परम्परागत कृषि विकास योजना के तर्ज पर वर्ष 2017–18 में किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के निर्धारण/संशोधन हेतु प्रशासी विभाग सक्षम होंगे। वर्ष 2017–18 में 103 नये कलस्टर में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2017–18 में स्वीकृत एवं निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत है। 103 कलस्टर के लिए प्रथम वर्ष हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।
3. यह योजना 60 % केन्द्रांश एवं 40 % राज्यांश के तर्ज पर संचालित होगी। वर्ष 2017–18 में 103 नये कलस्टर के लिए 735.221 लाख से योजना कार्यान्वित किया जायेगा। जिसके लिए केन्द्रांश 441.132 लाख तथा राज्यांश मद से 294.089 लाख रूपये उपलब्ध कराया जाना है। प्रत्येक कलस्टर में कुल लाभान्वित किसानों की संख्या में कम से कम 65 % किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के होंगे। साथ ही महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. यह योजना वर्ष 2017–18 में 103 नये कलस्टर में प्रत्येक 50 एकड़ के कलस्टर में संचालित होगा। कलस्टर के सभी कृषको को भारत सरकार द्वारा प्रावधानित सहायता अनुदान के अनुरूप विभिन्न घटकों के लिए अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत जैविक विधि से खेती एवं उनका पी०जी०एस० आधारित जैविक प्रमाणिकरण हेतु सहायता अनुदान का प्रावधान है। जैविक खेती एवं उनका प्रमाणीकरण का कार्य चयनित कलस्टर में लगातार तीन वर्षो तक संचालित होगा। जैविक उपादान को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को अधिकतम 1 हे० तक के लिए सहायता अनुदान दिया जा सकेगा।
5. पचास एकड़ के एक कलस्टर मे तीन वर्षों में व्यय हेतु परिसीमा इस प्रकार है :– प्रथम वर्ष में किसानों के लिए 5,90,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन के लिए 1,16,740 रूपया देय होगा। द्वितीय वर्ष में किसानों के लिए 2,27,500 रूपये तथा मोबलाईजेशन

एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन के लिए 2,71,170 रूपया देय होगा। तृतीय वर्ष में किसानों के लिए 1,77,500 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन के लिए 1,12,090 रूपया देय होगा।

6. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत संसूचित मार्गदर्शिका एवं इसमें समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

7. भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (SLEC) कार्य योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (DLEC) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

8. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्वि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

9. स्वीकृत राशि के अधीन आवंटन की गयी राशि की निकासी अनुसूची–1 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रिम रूप में संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि बी0टी0सी0 फार्म–61 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी।

10. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 9-40/2015-Org. Fmg दिनांक 13.2.2018 द्वारा 103 कलस्टर के लिए केन्द्रांश मद में 220.00 लाख राशि विमुक्ति की सूचना प्राप्त है। इसी राशि के विरूद्व समानुपातिक राज्यांश की राशि के साथ आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए योजनान्तर्गत बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि तथा स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–कृषि फारम, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0205–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001040205, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	2002.21	366.140
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01 उप शीर्ष 0241–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890241, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	385.97	70.581
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0263–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960263, पी०एफ०एम०एस०कोड– 9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	24.12	4.411
केन्द्रांश योग :–	2412.30	441.132

राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–कृषि फारम, मॉग सं०–01, उपशीर्ष 0305–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001040305, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	1334.81	244.093
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग सं०–01, उपशीर्ष 0341–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890341, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	257.31	47.055
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग सं०–01, उपशीर्ष 0363– परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960363, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन	16.08	2.941
राज्यांश योग :–	**1608.20**	**294.089**
कुल :–	**4020.50**	**735.221**

12. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृत दिनांक 20.03.2018 को प्राप्त है। उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृति प्राधिकार माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016 के पृ०सं०–15/टि० पर दिनांक 26.03.2018 को प्राप्त है।
13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
14. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016 के पृ०सं०–18/टि० पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
27-3-2018
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016......50......./ कृ0, पटना, दिनांक–......27-03....../2018
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-3-2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016......50......./ कृ0, पटना, दिनांक–......27-03....../2018
प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-3-2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016......50......./ कृ0, पटना, दिनांक–......27-03....../2018
प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

27-3-2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

8

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016......50........../ कृ0, पटना, दिनांक–......27/03........../2018
प्रतिलिपिः– सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/- 27-3-2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–31/2016......50........../ कृ0, पटना, दिनांक–......27-03........../2018
प्रतिलिपिः– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी NMSA कोषांग/नोडल पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सहायक निदेशक, उद्यान, सभी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) योजना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा सभी कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

ह॰/- 27-3-2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

नमामी गंगे स्वच्छता अभियन अन्तर्गत जैविक ग्राम कलस्टर की योजना में 103 कलस्टर के प्रथम वर्ष (2017–18) के लिए जिलावार लक्ष्य के अनुरूप व्यय हेतु राशि की स्वीकृति

क्र0 सं0	निकास एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	लक्ष्य							कुल आवश्यक राशि	केन्द्रांश				राज्यांश				मदवार राशि का विवरण		कुल
		लक्ष्य योजना मद				आकस्मिकता मद														
		भौतिक कलस्टर में	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण	आकस्मिकता	
1	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	18	76.328	50.885	127.213	0.432	0.288	0.720	127.933	63.711	12.282	0.768	76.761	42.474	8.188	0.512	51.174	127.213	0.720	127.933
2	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	17	72.087	48.058	120.145	0.408	0.272	0.680	120.825	60.171	11.599	0.725	72.495	40.114	7.733	0.483	48.330	120.145	0.680	120.825
3	जिला कृषि पदाधिकारी, छपरा	32	135.694	90.463	226.157	0.768	0.512	1.280	227.437	113.264	21.834	1.364	136.462	75.509	14.556	0.910	90.975	226.157	1.280	227.437
4	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	25	106.011	70.674	176.685	0.600	0.400	1.000	177.685	88.487	17.058	1.066	106.611	58.991	11.372	0.711	71.074	176.685	1.000	177.685
5	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	11	46.645	31.097	77.742	0.264	0.176	0.440	78.182	38.934	7.505	0.469	46.908	25.956	5.004	0.313	31.273	77.742	0.440	78.182
	संयुक्त निदेश (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना					1.895	1.264	3.159	3.159	1.573	0.303	0.019	1.895	1.049	0.202	0.012	1.263		3.159	3.159
		103	436.765	291.177	727.942	4.367	2.912	7.279	735.221	366.140	70.581	4.411	441.132	244.093	47.055	2.941	294.089	727.942	7.279	735.221

(संजय कुमार)
उपनिदेशक (रसायन) STL
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला